राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 179 जून 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

पिछले 15 वर्षों से, महिला आरक्षण विधेयक संसद में लंबित है। यह संसद की स्थापना के बाद से संसद में सबसे अधिक समय तक लंबित रहने वाला विधेयक है। तब से यह विधेयक विवादों में उलझा रहा है और सुलझा नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में, जो "कोटे के अंदर कोटे" की मांग कर रहे हैं, कोई मतैक्य नहीं बन पाया है।

विधेयक में संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो कुल उपलब्ध सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में आरक्षित हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि अब महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के निकट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विधेयक को पारित करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करते हुए इस बात को भी दोहराया कि समाज के विकास में और राष्ट्र के उन्नयन में महिलाओं द्वारा निभाई जानी वाली महत्वपूर्ण भूमिका को सरकार स्वीकार करती है। यह उन्हें संसद और राज्य विधान

चर्चा में **महिला आरक्षण विधेयक**

सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश भी जाएगा।

जबकि पहले भी संसद और विधान मंडलों में महिलाओं के कोटे के लिए इसी तरह के संकल्प व्यक्त किए गए थे, हाल में किए गए नए संकल्प विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल का लोक सभा में पूर्ण बहुमत है और क्षेत्रीय दलों का, जिन्होंने अधिनियम को अस्वीकृत किया था, लगभग सफाया हो गया है। अब विधायी स्थिति बदल गई है, इस मुद्दे पर न केवल केन्द्रीय सरकार मजबूत है, वह अब कांग्रेस, ए.आई.डी.एम.के., तृणमूल और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन पर भरोसा कर सकती है। इसलिए इस विधान को पारित करने की माकूल परिस्थितियां उतनी मजबूत पहले कभी नहीं रही जितनी अब हैं, यह एक ऐसा मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए।

एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय महिला आयोग महिला आरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने के लिए अनथक प्रयास कर रहा है। अब जब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कहा है कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, आयोग को आशा है कि सभी दल मिल कर विधेयक को पारित करेंगे।

और एक सच

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में अजीज कुरैशी द्वारा लिखित और निर्देशित "और एक सच" शीर्षक से एक नाटक के मंचन पर उपस्थित हुई। नाटक में दिखाया गया है कि महिलाओं का पुरुषों द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पालने से लेकर कब्र तक किस प्रकार शोषण किया जाता है - चाहे वह बाल विवाह अथवा वैवाहिक बलात्कार द्वारा पाश्विक व्यवहार हो, धर्म अथवा सामाजिक मानदंडों के द्वारा हित साधन हो अथवा तलाक अथवा दो विवाह के द्वारा परित्याग हो।

श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

लीक से हटकर कार्य करना

सुलभ इंटरनेशनल ने पटना जिले के स्वादिसपुर गांव में रहने वाली उस एक महिला को 1 लाख रुपये की राशि देने का निर्णय किया जिसने चार वर्ष के विवाह के बाद अपने पति को तलाक देने की धमकी दी थी क्योंकि उसने अपने घर में शौचालय का निर्माण करने के अपने वचन को नहीं निभाया था। सुलभ इंटरनेशनल ने महिला के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उसके घर में एक शौचालय बनाएंगे और उसे तलाक नहीं लेने देंगे।

अध्यक्षा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक समारोह में भाग लेती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा को चंद्रशेखर आजाद चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समारोह में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था।

श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

अध्यक्षा पौधा-रोपण करती हुई

इस अवसर पर बोलते हुए, अध्यक्षा ने शिक्षा के लाभों को बताया और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को कहा कि वे अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए उन्हें स्कूल और कॉलेज भेजें। उन्होंने अनेक महिला संबंधित कानूनों पर भी चर्चा की और उनसे बल देकर कहा कि वे इन कानूनों का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों पर जोर दें। बाद में उन्होंने बाग में पौधा-रोपण किया।

बलात्कार के पीड़ितों के लिए एकल खिड़की

दिल्ली पुलिस बलात्कार के पीड़ितों और यौन दुराचार के पीड़ितों के लिए दिल्ली के तीन सरकारी अस्पतालों में वन स्टाप सेंटर्स की स्थापना में स्वास्थ्य विभाग की सहायता कर रही है। अब पीड़ितों को एफ.आई.आर. के रजिस्टर होने के पहले ही चिकित्सा सहायता, पुनर्वास सुविधाएं और परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड करने और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने हेतु वहां पुलिस अफसर के लिए एक अतिरिक्त कमरा होगा।

सब-इंस्पैक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर रैंक की महिला अधिकारी पीड़िताओं की सहायता के लिए 24 घंटे बुलाने पर उपस्थित रहेंगी। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अधिकारी को मिलने के लिए किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन जाने की अथवा इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। वह सीधी सेंटर जा सकती है जहां पुलिस उसके पास आएगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है।

ये सेंटर पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गुरू तेग बहादुर अस्पताल में स्थापित किए गए हैं।

साहस की मिसाल

एक लड़की रात के 10 बजे डी.टी.सी. बस में घर लौट रही थी। जब वह बस से उतर रही थी तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया तो लड़की ने मामला अपने हाथ में लिया और छेड़खानी करने वाले युवक को पकड़ लिया। वह उसे घसीटकर पुलिस स्टेशन ले गई और धमकियों के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज कराई ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उसने पुलिस से यह भी जानना चाहा कि क्या महिलाओं को रात में यात्रा बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे बदमाश शहर में घूम रहे हैं।

ट्रायल कोर्ट ने उसकी हिम्मतभरे कार्य की सराहना की जिसने कहा कि यह घटना एक साधारण भारतीय महिला के साथ हुई है जो बहरे कानों में नहीं जाएगी। इस बहादुर लड़की ने जो किया है वह कार्य नगर की पुलिस को करना चाहिए। उसकी बहादुरी को सलाम है और उसके संघर्ष को कम आंका नहीं जा सकता। उसने छेड़खानी करने वाले युवक का मुकाबला किया है और उसे रंगे हाथों पकड़ कर घसीटकर पुलिस स्टेशन लाई है और कानून के रखवालों को सौंपा है इस चरण पर आरोपी को कोई छूट देने से गलत संदेश जाएगा और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा मिलेगी। संदेश ऊंचे स्वर में और स्पष्ट होना चाहिए। दिखाई देने वाले अपराध के लिए दिखाई देने वाली कार्रवाई की आवश्यकता है - जोकि तुरंत और प्रभावी होनी चाहिए। छेड़खानी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस बहादुर लड़की को सलाम करता है।

सदस्यों के दौरे

❖ डॉ. चारु वलीखन्ना नोएडा के एच.आर.डी. इंस्टिट्यूट में बी.एच.ई.एल. द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" पर आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई सदस्या ने कहा कि यह नियोक्ता का कर्त्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर कार्य करने का सुरक्षित वातावरण प्रदान करें और यह भी कहा कि एक दूसरे के प्रति आपसी विश्वास और आदर में धमकी रहित वातावरण में जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी पक्षपात के शिकायतों का निवारण करना चाहिए चाहे संबंधित व्यक्ति का दर्जा कुछ भी क्यों न हो और प्राकृतिक न्याय के अनुसरण में मामलों को निपटाना चाहिए और दोनों पार्टियों को अपने विचार रखने का अवसर देना चाहिए। जब महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करती हैं तो किसी तरह के नकारात्मक परिणाम नहीं आने देना चाहिए। ● डॉ. वलीखन्ना राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग से बंगलौर में "महिला और हिंसा" पर आयोजित सेमिनार में सम्मानित अतिथि थी। ● सदस्या भारत में "क्षेत्र विशेष की महिलाओं की स्थिति : आगे के रास्ते" पर तीन-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य अतिथि थी। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों से और मुख्य भूमि भारत से 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ● डॉ. चारु वलीखन्ना और सदस्या शमीना शफीक ने मानव व्यापार पर रोक के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का अध्ययन करने के लिए सिक्किम का दौरा किया। वे एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृह ममतालय भी गए और 15-35 आयु वर्ग की लड़कियों के साथ बातचीत की जो एक ही परिसर में एक साथ रहती हैं। बाद में, सदस्यों ने दो पुलिस स्टेशनों का औचक दौरा किया। एक पुलिस स्टेशन एक बाजार के केन्द्र में था और दूसरा दूर ग्रामीण क्षेत्र में था। ● सदस्या ने सिक्किम से लगभग दो घंटे की दूरी पर स्थित सिंघटम पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। एस.एच.ओ. ने आयोग को सूचित किया कि यहां होने वाले अधिकांश मामले चोरी से संबंधित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का आना-जाना लगा रहता है और वर्ष 2014 में बलात्कार के दो मामले हुए हैं। ● सदस्या "महिला भारतीय प्रवासी कामगारों की समस्याएं और उनकी सुरक्षा" पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित होने के लिए केरल गई। सदस्या ने तिरुवला, ठेकेड़ी और मुन्नार में खाड़ी के देशों से लौटे महिला कामगारों से बातचीत की।

डॉ. वलीखन्ना (बाएं से दूसरी) महिला और हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग के क्षेत्रीय परामर्श सत्र में

❖ सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीमती सुषमा पांडे और श्री अशोक तिवारी के साथ महाराष्ट्र में मनोर में "मानव अधिकार मिशन" के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। ● सदस्या दादरा नगर हवेली के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में गई। वह कोंकण, कठोदिया, धोदिया और वार्ली समुदाय के जनजाति महिलाओं से मिली और उनसे बाल विवाह, कुपोषण, जादू-टोना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की शिक्षा, शौचालय, पानी, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर चर्चा की। ● सुश्री खेरिया सिलवासा जेल, दादरा नगर हवेली गई। वह अधिकारियों और कैदियों से मिली और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने पाया कि जेल में मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने जोरदार शब्दों में सिफारिश की कि महिला वार्ड का नवीनीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। ● सुश्री खेरिया को कोलकाता में "महिला और दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र में विकास : मुद्दे और चुनौतियां" पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम ओड़िसा युवा सांस्कृतिक संसद द्वारा आयोजित किया गया था।

सदस्या हेमलता खेरिया जेल अधीक्षक श्री पी.परमार, ए.डी.एम. श्री प्रशांत और श्री अशोक तिवारी के साथ

❖ सदस्या शमीना शफीक ने सिक्किम राज्य महिला आयोग द्वारा सिक्किम के लुमसे में "अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" पर आयोजित एक परस्पर संवाद सत्र का उद्घाटन किया। इसमें सदस्या चारू वलीखन्ना, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय, गैर-सरकारी संगठन, पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित पक्ष उपस्थित हुए। इस अवसर पर बोलते हुए सदस्या ने कहा कि यद्यपि महिलाओं की समस्याएं सर्वव्यापी हैं फिर भी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में अधिक वंचित हैं। ● सदस्या लखनऊ में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई जहां उन्होंने कहा कि कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता विशेषकर युवाओं के लिए, समय की आवश्यकता है। ● श्रीमती शफीक ने तिरुवल्ला में अल्पसंख्यक महिलाओं पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया। ● सदस्या शमीना शफीक और चारू वलीखन्ना ने विश्व मानव अधिकार मंच द्वारा केरल के इडुक्की जिले में ईसाई अल्पसंख्यक से संबंधित महिलाओं के लिए आयोजित परस्पर संवाद सत्र में भाग लिया। ● श्रीमती शफीक राष्ट्रीय महिला आयोग और केरल राज्य महिला आयोग द्वारा भारतीय महिला प्रवासी कामगारों की सुरक्षा की समस्याओं पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करने के लिए तिरुवनंतपुरम गई। ● श्रीमती शफीक ने क्राइस्ट नगर स्कूल, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेमिनार का उद्घाटन किया जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। सदस्या ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि लड़का-लड़की की बराबरी की अवधारणा बच्चों में आरम्भ में ही घर पर उनके मन में डालनी चाहिए।

सदस्या शमीना शफीक परस्पर संवाद सत्र में भाषण करती हुई

बेजबरुआ समिति की राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ बैठक

बेजबरुआ समिति के दस सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ बैठक की जिसमें अध्यक्षा ममता शर्मा, सदस्या ललडिंगलियानी साइलो और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री बेजबरुआ ने कहा कि समिति देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की समस्याओं को देख रही है और वह उपचारी उपाय देगी जिस पर सरकार विचार कर सकती है।

अध्यक्षा ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की स्थापना की है। सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने समिति को अवगत किया कि आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों की लड़कियों/महिलाओं से छेड़खानी और बलात्कार आदि के बारे में मीडिया रिपोर्टों को स्वयं संज्ञान में लिया है और इन मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के पास उठाया है।

अध्यक्षा (बीच में) सदस्या, साइलो, श्री बेजबरुआ समिति के सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ

समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं : ऐसे क्षेत्रों में पुलिस और सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाना जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाएं और लड़कियां रहती हैं; राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क) में संशोधन की सिफारिश करती है; समिति विशेष शिकायत, यदि कोई हो, आयोग के पास भेजेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग का हस्तक्षेप

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक महिला एडवोकेट पर तीस हजारी कोर्ट के 30-40 एडवोकेटों ने हमला बोला। वह एक नागा लड़की के साथ कोर्ट में आई थी जिसके साथ यौन छेड़खानी की गई थी। आयोग ने पुलिस के पास मामला उठाया जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इस भयावह हमले के बारे में लिखा है जो कोर्ट के परिसर में हुआ और वह भी मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे इस मामले में कृपया हस्तक्षेप करें और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।

राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 179 जून 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

पिछले 15 वर्षों से, महिला आरक्षण विधेयक संसद में लंबित है। यह संसद की स्थापना के बाद से संसद में सबसे अधिक समय तक लंबित रहने वाला विधेयक है। तब से यह विधेयक विवादों में उलझा रहा है और सुलझा नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में, जो "कोटे के अंदर कोटे" की मांग कर रहे हैं, कोई मतैक्य नहीं बन पाया है।

विधेयक में संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो कुल उपलब्ध सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में आरक्षित हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि अब महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के निकट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विधेयक को पारित करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करते हुए इस बात को भी दोहराया कि समाज के विकास में और राष्ट्र के उन्नयन में महिलाओं द्वारा निभाई जानी वाली महत्वपूर्ण भूमिका को सरकार स्वीकार करती है। यह उन्हें संसद और राज्य विधान

चर्चा में **महिला आरक्षण विधेयक**

सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश भी जाएगा।

जबकि पहले भी संसद और विधान मंडलों में महिलाओं के कोटे के लिए इसी तरह के संकल्प व्यक्त किए गए थे, हाल में किए गए नए संकल्प विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल का लोक सभा में पूर्ण बहुमत है और क्षेत्रीय दलों का, जिन्होंने अधिनियम को अस्वीकृत किया था, लगभग सफाया हो गया है। अब विधायी स्थिति बदल गई है, इस मुद्दे पर न केवल केन्द्रीय सरकार मजबूत है, वह अब कांग्रेस, ए.आई.डी.एम.के., तृणमूल और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन पर भरोसा कर सकती है। इसलिए इस विधान को पारित करने की माकूल परिस्थितियां उतनी मजबूत पहले कभी नहीं रही जितनी अब हैं, यह एक ऐसा मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए।

एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय महिला आयोग महिला आरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने के लिए अनथक प्रयास कर रहा है। अब जब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कहा है कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, आयोग को आशा है कि सभी दल मिल कर विधेयक को पारित करेंगे।

और एक सच

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में अजीज कुरैशी द्वारा लिखित और निर्देशित "और एक सच" शीर्षक से एक नाटक के मंचन पर उपस्थित हुई। नाटक में दिखाया गया है कि महिलाओं का पुरुषों द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पालने से लेकर कब्र तक किस प्रकार शोषण किया जाता है - चाहे वह बाल विवाह अथवा वैवाहिक बलात्कार द्वारा पाश्विक व्यवहार हो, धर्म अथवा सामाजिक मानदंडों के द्वारा हित साधन हो अथवा तलाक अथवा दो विवाह के द्वारा परित्याग हो।

श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

लीक से हटकर कार्य करना

सुलभ इंटरनेशनल ने पटना जिले के स्वादिसपुर गांव में रहने वाली उस एक महिला को 1 लाख रुपये की राशि देने का निर्णय किया जिसने चार वर्ष के विवाह के बाद अपने पति को तलाक देने की धमकी दी थी क्योंकि उसने अपने घर में शौचालय का निर्माण करने के अपने वचन को नहीं निभाया था। सुलभ इंटरनेशनल ने महिला के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उसके घर में एक शौचालय बनाएंगे और उसे तलाक नहीं लेने देंगे।

अध्यक्षा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक समारोह में भाग लेती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा को चंद्रशेखर आजाद चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समारोह में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था।

श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

अध्यक्षा पौधा-रोपण करती हुई

इस अवसर पर बोलते हुए, अध्यक्षा ने शिक्षा के लाभों को बताया और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को कहा कि वे अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए उन्हें स्कूल और कॉलेज भेजें। उन्होंने अनेक महिला संबंधित कानूनों पर भी चर्चा की और उनसे बल देकर कहा कि वे इन कानूनों का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों पर जोर दें। बाद में उन्होंने बाग में पौधा-रोपण किया।

बलात्कार के पीड़ितों के लिए एकल खिड़की

दिल्ली पुलिस बलात्कार के पीड़ितों और यौन दुराचार के पीड़ितों के लिए दिल्ली के तीन सरकारी अस्पतालों में वन स्टाप सेंटर्स की स्थापना में स्वास्थ्य विभाग की सहायता कर रही है। अब पीड़ितों को एफ.आई.आर. के रजिस्टर होने के पहले ही चिकित्सा सहायता, पुनर्वास सुविधाएं और परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएंगी। पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड करने और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने हेतु वहां पुलिस अफसर के लिए एक अतिरिक्त कमरा होगा।

सब-इंस्पैक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर रैंक की महिला अधिकारी पीड़िताओं की सहायता के लिए 24 घंटे बुलाने पर उपस्थित रहेंगी। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अधिकारी को मिलने के लिए किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन जाने की अथवा इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। वह सीधी सेंटर जा सकती है जहां पुलिस उसके पास आएगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है।

ये सेंटर पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गुरू तेग बहादुर अस्पताल में स्थापित किए गए हैं।

साहस की मिसाल

एक लड़की रात के 10 बजे डी.टी.सी. बस में घर लौट रही थी। जब वह बस से उतर रही थी तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया तो लड़की ने मामला अपने हाथ में लिया और छेड़खानी करने वाले युवक को पकड़ लिया। वह उसे घसीटकर पुलिस स्टेशन ले गई और धमकियों के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज कराई ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उसने पुलिस से यह भी जानना चाहा कि क्या महिलाओं को रात में यात्रा बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे बदमाश शहर में घूम रहे हैं?

ट्रायल कोर्ट ने उसकी हिम्मतभरे कार्य की सराहना की जिसने कहा कि यह घटना एक साधारण भारतीय महिला के साथ हुई है जो बहरे कानों में नहीं जाएगी। इस बहादुर लड़की ने जो किया है वह कार्य नगर की पुलिस को करना चाहिए। उसकी बहादुरी को सलाम है और उसके संघर्ष को कम आंका नहीं जा सकता। उसने छेड़खानी करने वाले युवक का मुकाबला किया है और उसे रंगे हाथों पकड़ कर घसीटकर पुलिस स्टेशन लाई है और कानून के रखवालों को सौंपा है इस चरण पर आरोपी को कोई छूट देने से गलत संदेश जाएगा और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा मिलेगी। संदेश ऊंचे स्वर में और स्पष्ट होना चाहिए। दिखाई देने वाले अपराध के लिए दिखाई देने वाली कार्रवाई की आवश्यकता है - जोकि तुरंत और प्रभावी होनी चाहिए। छेड़खानी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस बहादुर लड़की को सलाम करता है।

❖ डॉ. चारू वलीखन्ना नोएडा के एच.आर.डी. इंस्टिट्यूट में बी.एच.ई.एल. द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" पर आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई सदस्या ने कहा कि यह नियोक्ता का कर्त्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर कार्य करने का सुरक्षित वातावरण प्रदान करें और यह भी कहा कि एक दूसरे के प्रति आपसी विश्वास और आदर में धमकी रहित वातावरण में जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी पक्षपात के शिकायतों का निवारण करना चाहिए चाहे संबंधित व्यक्ति का दर्जा कुछ भी क्यों न हो और प्राकृतिक न्याय के अनुसरण में मामलों को निपटाना चाहिए और दोनों पार्टियों को अपने विचार रखने का अवसर देना चाहिए। जब महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करती हैं तो किसी तरह के नकारात्मक परिणाम नहीं आने देना चाहिए। ● डॉ. वलीखन्ना राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग से बंगलौर में "महिला और हिंसा" पर आयोजित सेमिनार में सम्मानित अतिथि थी। ● सदस्या भारत में "क्षेत्र विशेष की महिलाओं की स्थिति : आगे के रास्ते" पर तीन-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य अतिथि थी। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों से और मुख्य भूमि भारत से 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ● डॉ. चारू वलीखन्ना और सदस्या शमीना शफीक ने मानव व्यापार पर रोक के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का अध्ययन करने के लिए सिक्किम का दौरा किया। वे एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृह ममतालय भी गए और 15-35 आयु वर्ग की लड़कियों के साथ बातचीत की जो एक ही परिसर में एक साथ रहती हैं। बाद में, सदस्यों ने दो पुलिस स्टेशनों का औचक दौरा किया। एक पुलिस स्टेशन एक बाजार के केन्द्र में था और दूसरा दूर ग्रामीण क्षेत्र में था। ● सदस्या ने सिक्किम से लगभग दो घंटे की दूरी पर स्थित सिंघटम पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। एस.एच.ओ. ने आयोग को सूचित किया कि यहां होने वाले अधिकांश मामले चोरी से संबंधित हैं क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का आना-जाना लगा रहता है और वर्ष 2014 में बलात्कार के दो मामले हुए हैं। ● सदस्या "महिला भारतीय प्रवासी कामगारों की समस्याएं और उनकी सुरक्षा" पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित होने के लिए केरल गई। सदस्या ने तिरुवला, ठेकेड़ी और मुन्नार में खाड़ी के देशों से लौटे महिला कामगारों से बातचीत की।

डॉ. वलीखन्ना (बाएं से दूसरी) महिला और हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग के क्षेत्रीय परामर्श सत्र में

❖ सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीमती सुषमा पांडे और श्री अशोक तिवारी के साथ महाराष्ट्र में मनोर में "मानव अधिकार मिशन" के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। ● सदस्या दादरा नगर हवेली के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में गई। वह कोंकण, कठोदिया, धोदिया और वार्ली समुदाय के जनजाति महिलाओं से मिली और उनसे बाल विवाह, कुपोषण, जादू-टोना, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की शिक्षा, शौचालय, पानी, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर चर्चा की। ● सुश्री खेरिया सिलवासा जेल, दादरा नगर हवेली गई। वह अधिकारियों और कैदियों से मिली और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने पाया कि जेल में मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने जोरदार शब्दों में सिफारिश की कि महिला वार्ड का नवीनीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। ● सुश्री खेरिया को कोलकाता में "महिला और दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र में विकास : मुद्दे और चुनौतियां" पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम ओड़िसा युवा सांस्कृतिक संसद द्वारा आयोजित किया गया था।

सदस्या हेमलता खेरिया जेल अधीक्षक श्री पी.परमार, ए.डी.एम. श्री प्रशांत और श्री अशोक तिवारी के साथ

❖ सदस्या शमीना शफीक ने सिक्किम राज्य महिला आयोग द्वारा सिक्किम के लुमसे में "अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" पर आयोजित एक परस्पर संवाद सत्र का उद्घाटन किया। इसमें सदस्या चारू वलीखन्ना, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय, गैर-सरकारी संगठन, पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित पक्ष उपस्थित हुए। इस अवसर पर बोलते हुए सदस्या ने कहा कि यद्यपि महिलाओं की समस्याएं सर्वव्यापी हैं फिर भी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में अधिक वंचित हैं। ● सदस्या लखनऊ में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई जहां उन्होंने कहा कि कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता विशेषकर युवाओं के लिए, समय की आवश्यकता है। ● श्रीमती शफीक ने तिरुवल्ला में अल्पसंख्यक महिलाओं पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया। ● सदस्या शमीना शफीक और चारू वलीखन्ना ने विश्व मानव अधिकार मंच द्वारा केरल के इडुक्की जिले में ईसाई अल्पसंख्यक से संबंधित महिलाओं के लिए आयोजित परस्पर संवाद सत्र में भाग लिया। ● श्रीमती शफीक राष्ट्रीय महिला आयोग और केरल राज्य महिला आयोग द्वारा भारतीय महिला प्रवासी कामगारों की सुरक्षा की समस्याओं पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करने के लिए तिरुवनंतपुरम गई। ● श्रीमती शफीक ने क्राइस्ट नगर स्कूल, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेमिनार का उद्घाटन किया जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। सदस्या ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि लड़का-लड़की की बराबरी की अवधारणा बच्चों में आरम्भ में ही घर पर उनके मन में डालनी चाहिए।

सदस्या शमीना शफीक परस्पर संवाद सत्र में भाषण करती हुई

बेजबरूआ समिति की राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ बैठक

बेजबरूआ समिति के दस सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ बैठक की जिसमें अध्यक्षा ममता शर्मा, सदस्या ललडिंगलियानी साइलो और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री बेजबरूआ ने कहा कि समिति देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की समस्याओं को देख रही है और वह उपचारी उपाय देगी जिस पर सरकार विचार कर सकती है।

अध्यक्षा ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की स्थापना की है। सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने समिति को अवगत किया कि आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों की लड़कियों/महिलाओं से छेड़खानी और बलात्कार आदि के बारे में मीडिया रिपोर्टों को स्वयं संज्ञान में लिया है और इन मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के पास उठाया है।

अध्यक्षा (बीच में) सदस्या, साइलो, श्री बेजबरूआ समिति के सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ

समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं : ऐसे क्षेत्रों में पुलिस और सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाना जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाएं और लड़कियां रहती हैं; राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 153(क) में संशोधन की सिफारिश करती है; समिति विशेष शिकायत, यदि कोई हो, आयोग के पास भेजेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग का हस्तक्षेप

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक महिला एडवोकेट पर तीस हजारी कोर्ट के 30-40 एडवोकेटों ने हमला बोला। वह एक नागा लड़की के साथ कोर्ट में आई थी जिसके साथ यौन छेड़खानी की गई थी। आयोग ने पुलिस के पास मामला उठाया जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इस भयावह हमले के बारे में लिखा है जो कोर्ट के परिसर में हुआ और वह भी मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे इस मामले में कृपया हस्तक्षेप करें और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

अधेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।